सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की है, उन्होंने आवेदन दिए हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, ऐसा मुझे कल ही कहा गया है। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि अब जब जांच-पड़ताल होगी तो इस बात को देखा जायगा कि क्यों नहीं सदस्य बनाया गया और अगर वे उसके अन्तर्गत काम करते हैं तो उनको सदस्य बनने का हक है, यह बात तो सिद्धांततः स्पष्ट है। अब क्यों नहीं बनाया गया और बनाए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए हम दिल्ली प्रशासन को कहेंगे।

यह बात हम अन्त में कह देना चाहते हैं कि हम सभी की सहानुभूति भाषायी संवाद समिति से है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि सरकार इन समितियों को जो भी अनुदान दे या जो भी सहायता करे उसका वह उपयोग और कामों में करें लेकिन जो उसमें काम करने वाले हैं उनको तनख्वाह और बोनस न दे। इसको उसका दुरुपयोग कहा जायगा। इसलिए आज जो अभी बात-चीत हो रही है या होने वाली है दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त और प्रबन्धकों के बीच में, हम आशा करते हैं कि प्रबन्धक इसकी गंभीरता को समझेंगे और इस सम्बन्ध में जो चिन्ता और आशंका व्यक्त की जा रही है पिछले दिनों से और विशेषकर लोक सभा में आज की गई, उसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक किसी उचित निर्णय पर स्वयं ही पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर जो और कार्यवाही करनी होगी वह की जायगी।

बाकी जो उन्होंने बतलाया है कि पूर्वाग्रह से इसको तोड़ा या और जो ऐसी बातें हैं वह हमारे मित्र साठे साहब से सम्बन्धित हैं वह उचित समय पर उस पर विचार करेंगे।

हम यही कहना चाहते हैं कि राजनैतिक आधार के बल पर जिस का प्रायः सभी सदस्यों ने उल्लेख किया, आर० एस० एस० की बात की इस आधार पर भाषायी संवाद एजेंसी नहीं चलायी जानी चाहिए और अगर उन्होंने अब तक किया है जिसका उदाहरण बहुत अधिक सदस्यों ने दिया है तो उनको इस बात से रोक कर के उस को खत्म करके पूर्णतः एक स्वच्छ भाषायी एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह अविलम्ब अपने साथ कार्य करने वाले पत्रकार बन्धु और जो दूसरे कर्मचारी हैं उन से बात करें, उनकी तनख्वाह दें, प्राविडेंड फंड और ई० एस० आई० का पैसा हमें दे दें और जो उन का और जगह बकाया है उसको उनसे वसूल करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका और जगह बकाया है तो यह काम वह बन्द कर दें। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो लोक सभा में विवाद हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक इस पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे, अन्यथा सरकार को मजबूरन उन सभी कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा जो इसमें उल्लेखनीय हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Next item is Statement by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri P. Venkatasubbaiah.

13.11 hrs.

STATEMENT *RE* : WITHDRAWAL OF MONEY FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA FOR COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI PEACE FOUNDATION ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Mr. Deputy Speaker, Sir :

as the Hon. Members are aware, the Government of India have, in pursuance of the resolution passed by this House on 28th August, 1981, constituted a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice P.D. Kudal a judge of the Rajasthan High Court, with the following terms of reference :—

(a) to inquire into the working and activities, including publications, of—

(1) Gandhi Peace Foundation;

(2) Gandhi Samarak Nidhi;

(3) All India Sarwa Sewa Sangh;

(4) Association of Voluntary Agencies for Rural Development; and

(5) Other organisations closely connected with the above mentioned organisations;

to determine whether they acted in conformity with their aims and objects ;

(b) to inquire into the sources of funds of the organisations referred to above;

(c) to inquire into the manner of utilisation of funds and misuse thereof, if any, by the said organisations, with reference to their aims and objects; and

(d) to inquire into any such matter as may be incidental or relevant to the above mentioned matters.

2. A copy of the notification regarding appointment of the Commission has been tabled in this House on March 3, 1982.

3. The Commission will be within the administrative purview of the Ministry of Home Affairs. The Demands for Grants of this Ministry for the year 1982-83 have already been passed by the House. The expenditure on this 'New Service' could not be foreseen and has not been incorporated in the Budget provisions for the year 1982-83. The Commission is required to begin its work early and submit its report.

4. It is proposed to withdraw Rs. 5.83 lakhs from the Contingency Fund of India to meet the expenses of the Commission upto the end of July, 1982. When the first batch of supplementary demands is presented to Parliament, this demand will be included in order to recoup the advance to the Contingency Fund.

13.15 hrs.

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

RECOMMENDATION TO RAJYA SABHA TO ELECT A MEMBER

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj) : Sir, I beg to move :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one member of Rajya Sabha according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Prof. N. M. Kamble from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one member of Rajya Sabha according to the principle